

23/6/25

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
हुक्म को तामील
में जारी हुए

2025/711

23/6/25

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा
53, 58, 59, 62, 63, 188, एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावतिया बंजरित
होकर वास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारण को वास्ते सुनवाई तलब किया
जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतर्गत उक्त पत्रावलियों
का सम्बन्ध रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जसद्वितीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की
धारा 210 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों
में उचित न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केम्प कोर्ट दिनांक 23/6/25

कोर्ट के आदेश पर पेशा हुक्मी वाकी एवं वाकी
आफि. उज्ज-1 वाकी आशिष बरन द्वारा
वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं
जाहरे से वाद पत्र में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। पत्रावली में निर्दिष्ट
सबे इजलास मुगल गंगा पत्रावली
मौजल शुमार लोक दाऊल नफरत
हो नमा बरन से कम हो।

Handwritten signature

राम लाल जाट

उक्त आदेश पर नो कोर्ट
अगली कार्यवाही नहीं
चाहता हूँ।

Handwritten signature

23/6/25

Handwritten signature
23/6/25

सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा